

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] No. 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 339(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तिथि:-
 - (1) इन नियमों को पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा ।
 - (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पासपोर्ट नियम, 1980 में, नियम 12 में, उप नियम (4) में, शब्दों "तीन माह", के लिए शब्दों "छह माह" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. VI/401/1/5/2008]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी: पासपोर्ट नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691 (अ) के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 39 (अ), दिनांक 18 जनवरी, 2018 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

2063 GI/2018 (1)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

- **G.S.R. 339(E).** In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:-
 - 1. Short title and commencement.-
 - (i) These rules may be called the Passports (IInd Amendment) Rules, 2018
 - (ii) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Passports Rules, 1980, in rule 12, in sub-rule (4), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted.

[F. No. VI/401/1/5/2008]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note: The Passports Rules, 1980 were published *vide* Notification number G.S.R. 691 (E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th December, 1980 and last amended *vide* Notification Number G.S.R. 39 (E), dated the 18th January, 2018.